रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897

No. 255] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER, 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 31st December 1975

No. DRAWBACK/PN-94/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For "Rs. 1700/- (Rupees Seventeen hundred only" appearing in column (4) against item (b) of Sub-Serial No. 3810, the following shall be read:—

(1) *"with effect from* 1-1-75 to 31-5-75"

"Rs. 2105/- (Rupees two thousand one hundred and five only)."

(2) "*with effect from* 1-6-75"

"Rs. 2570/- (Rupees two thousand five hundred and seventy only)."

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-94/75.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 3810 की मद (ख) के सामने स्तम्भ (4) में दिये गये "1700/-रु० (केवल सत्रह सौ रुपये)" के स्थान पर निम्नलिखित पढ़े :—

(1) "1-1-75 से 31-5-75 तक"

"2105/-रुपये (केवल दो हजार, एक सौ पांच रुपये)"

(2) "1-6-75 से"

"2570/-रुपये (केवल दो हजार, पांच सौ सत्तर रुपये)"।

No. DRAWBACK/PN-95/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated 15th October, 1971 :—

For Item (1) of Sub-Serial No. 5004 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
5004	(i) Bicycle complete, assembled or un-assembled (including accessories) Not otherwise specified.	10% (Ten percent only) of the FOB value subject to the maximum of Rs. 23·50 (Rupees twenty three and paise fifty only) per bicycle.

NOTE.—The above rate is inclusive of drawback on packing materials.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1975 and shall remain in force till 31st day of December, 1975.

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-95/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार

सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक 5004 की मद (i) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
5004	(i) सम्पूर्ण साइकिल, संयोजित अथवा असंयोजित जिसमें अन्यथा अविनिर्दिष्ट उपांग शामिल हैं।	पोत पर्यंत नि : शुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) परन्तु अधिकतम 23.50 रु० (केवल तेइस रुपये पचास पैसे) प्रति साइकिल।

नोट :—उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्री पर प्रतिअदायगी शामिल है। यह सार्वजनिक सूचना जून 1975 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायेगी और दिसम्बर, 1975 के 31वें दिन तक लागू रहेगी।

No. DRAWBACK/PN-96/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notifiction No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 : —

For item (f) of sub-serial No. 3402 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :

Description of goods	Rate of drawback
(f)(A) Glass vials, glass phials and ampoules when exported as such (empty).	Rs. 24·00 (Rupees twenty four only)per tonne.
(B) Glass vials, glass phials and ampoules when used for packing other export goods—	
(i) of 5cc/5ml size and above but below 7·5cc/7·5ml.	Rs. 7·35 (Rupees seven and paise thirty five only) per one thousand pieces.
(ii) of 7·5cc/7·5ml and above but below 10cc/10ml.	Rs. 8·45 (Rupees eight and paise forty five only) per one thousand pieces.
(iii) of 10cc/10ml and above but below 15cc/15ml.	Rs. 10·60 (Rupees ten and paise sixty only) per one housand pieces.
(iv) of 15cc/15 ml and above but below 20cc/20ml.	Rs. 11·35 (Rupees eleven and paise thirty five only) per one thousand pieces.
(v) of 20cc/20ml size.	Rs. 12·20 (Rupees twelve and paise twenty only) per one thousand pieces.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सं० प्रतिअदायगी सा० सू०-96/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 मे प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/पी० एन०, 1 दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 मे प्रकाशित सारणी मे एतद्द्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3402 की मद (च) तथा तत्संबधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(च)	(क) कांच की बोतल, कांच की छोटी शीशी/इंजैक्शन की शीशी जब इन्हे इसी रूप में (खाली) निर्यात किया जाता है ।	24.00 रु० (चौबीस रुपए) प्रति मीट्रिक टन
	(ख) कांच की बोतल, कांच की छोटी शीशी/इंजैक्शन की शीशी जब इन्हें अन्य निर्यात माल को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो,	
	(i) 5 सी० सी०/5 मि० ली० माप की और उससे ऊपर किन्तु 7.5 सी० सी०/ 7.5 मि० ली० से कम	7.35 रु० (केवल सात रुपए पैंतीस पैसे) प्रति एक हजार नग
	(ii) 7.5 सी० सी०/7.5 मि० ली० और उससे अधिक परन्तु 10 सी० सी०/ 10 मि० ली० से कम	8.45 रु० (केवल आठ रुपए पैंतालीस पैसे) प्रति हजार नग
	(iii) 10 सी० सी०/10 मि० ली० और उससे अधिक परन्तु 15 सी० सी०/15 मि० ली० से कम	10.60 रु० (केवल दस रुपए साठ पैसे) प्रति हजार नग
	(iv) 15 सी० सी०/15 मि० ली० और उससे अधिक परन्तु 20 सी० सी०/20 मि० ली० से कम	11.35 रु० (केवल ग्यारह रुपए पैंतीस पैसे) प्रति हजार नग
	(v) 20 सी० सी०/20 मि० ली० क्षमता वाली	12.20 रु० (केवल बारह रुपए बीस पैसे) प्रति हजार नग ।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975